RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३०] बुधवार, जुलै २९, २०१५/श्रावण ७, शके १९३७ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २९ जुलाई, २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XLII OF 2015.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PREVENTION OF DANGEROUS ACTIVITIES OF SLUMLORDS, BOOT-LEGGERS, DRUG-OFFENDERS, DANGEROUS PERSON AND VIDEO PIRATES ACT, 1981.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४२, सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण अधिनियम, १९८१ में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

सन १९८१ का महा. ५५।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण अधिनियम, १९८१ में, अधिकतर संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ; अतः भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

सन् १९८१ का महा.५५ के दीर्घ शीर्षक में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण अधिनियम, १९८१ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक में, " और विडिओ पायरेट " शब्दों के स्थान में, " विडिओ पायरेट, बालू-तस्कर और मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुडे व्यक्ति " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९८१ का महा.५५ ।

सन् १९८१ का महा. ५५ की धारा १ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १, की उप-धारा (१) में, " और विडिओ पायरेट " शब्दों के स्थान में, " विडिओ पायरेट, बालू तस्करों और मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुडे व्यक्ति " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९८१ का महा. ५५ की धारा २ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २ के,—

(एक) खण्ड (क) के,—

(क) उप-खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(चार-क) बालू-तस्कर के मामले में, बालू तस्कर के रुप में, उसके किन्हीं गतिविधियों में जब वह जुड़ा हुआ है, या जुड़ने की तैयारी कर रहा है जो लोक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूलता से प्रभावित या प्रतिकूलता से प्रभावित करने की संभावना है ;

(चार-ख) मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुड़े व्यक्ति के मामले में, मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुड़े व्यक्ति के रुप में, उसके किन्हीं गतिविधियों में, जब वह जुड़ा हुआ हो, या जुड़ने की तैयारी कर रहा है जो लोक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूलता से प्रभावित या प्रतिकूलता से प्रभावित करने की संभावना है ;

(ख) **स्पष्टीकरण** में, " लोक स्वास्थ्य " शब्दों के पश्चात्, " या मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार द्वारा लोक सुरक्षा और प्रशांति में विघ्न या समाज के दैनंदिन जीवन में विघ्न जिसके परिणामस्वरुप ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति में कृत्रिम दुर्भिक्षता और मूलभूत वस्तुओं की किमतें बढने में वृद्धि हाती है, जो अंत में मुद्रास्फीति विषयक मामला हो " शब्द निविष्ट किये जायेंगे । " ;

(दो) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

" (ड़-१) " मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुड़े व्यक्ति " का तात्पर्य, व्यक्ति जो समाज के लिये मूलभूत वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिये किन्ही प्रतिकूल रित्या कार्य करनेवाले से है ।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिये, " समाज के लिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिये किन्ही प्रतिकूल रित्या कार्य करनेवाला " अभिव्यक्ति का तात्पर्य,—

(एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ के अधीन या, समाज के लिये आवश्यक किन्हीं वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, आपूर्ति या के वितरण, या व्यापार और वाणिज्य से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करना या करने के लिये उकसाना ; या सन् १९५५ का १० ।

(दो) आवश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ में यथा परिभाषित या खण्ड (एक) में निर्दिष्ट है के रुप में किसी अन्य विधि में बनाये गये जो उपबंध है उसके संबंध में जो आवश्यक वस्तु है ऐसी किसी वस्तु का व्यवहार करना, सन् १९५५ का १० ।

किसी रित्या में, कोई अभिलाभ करने दृष्टि से, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ या खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी अन्य विधि के उपबंधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विफल या विफल करनेवाला है ; सन् १९५५ का १० ।

" (ङ -२) " बालू तस्कर " का तात्पर्य, व्यक्ति जो व्यक्तिशः या व्यक्तियों के समूह के एक भाग के रुप में, अनधिकृत निकालना, हटाना, संग्रहण करना प्रतिस्थापन करना, बालू को निकलना, या निपटान करना और उसका परिवहन, संचयन और क्रय में जुडा हो या जुड़ने की तैयारी में है या शामिल है या

सन् १९५७ का ६७ ।

दुष्प्रेरित करना है, या जो अपराध करने या करने की प्रयास करता है या अपराध करने मे दुष्प्रेरित करना है, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ के अधीन या महाराष्ट्र गौण खनिज उदग्रहण (विकास और विनियमन) नियम, २०१३ के अधीन दण्डनीय है, से है ; " ;

सन् १९८१ का महा. ५५ की धारा १७ में संशोधन ।

५. मूल अधिनियम की धारा १७ के,—

(एक) खण्ड (ख) में, अंत में " और " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) खण्ड (ग) में, " और " शब्द अंत में जोड़ा जायेगा ;

(तीन) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" (घ) किन्हीं बालू तस्करों के संबंध में, महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले , मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारम्भण पर या के पश्चात् । "।

सन् २०१५ का ..... ।

सन् १९८१ का महा. ५५ में नयी धारा १७क की निविष्टि ।

६. मूल अधिनियम की धारा १७ के पश्चात्, निम्न नयी धारा १७क निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९८० का ७ ।

सन् २०१५ का महा. .... ।

आवश्यक वस्तुओं के काला-बाज़ार में जुडे किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवरोधन आदेश इस अधिनियम के अधीन बनाया जायेगा और काला-बाज़ार का निवारण और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाये रखना अधिनियम के अधीन नहीं होगा ।

" **१७ क.** काला-बाजार निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, १९८० के अधीन कोई अव रोधन का आदेश, राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन उसके किसी अधिकारी द्वारा, या महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेटस की खतरनाक गतिविधियों का निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारम्भण पर या के पश्चात्, आवश्यक वस्तुओं के काला-बाजार में जुड़े किसी व्यक्ति के संबंध में नहीं बनाया जायेगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडियो पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण अधिनियम, १९८१ (सन् १९८१ का महा. ५५) मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट के अवरोधन के निवारण के लिये, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में प्रतिकूल खतरनाक गतिविधियों के निवारण के लिये उपबंध करता है ।

२. महाराष्ट्र राज्य में, बालू की बहुत ज्यादा माँग है, जो अनेक आवासी परियोजनाओं और आधारभूत संरचना कार्यां के संदर्भ में, अत्याधिक परिमाणों में आवश्यक है । बालू की बढ़ती माँग, बालू के अनधिकृत निकालने, परिवहन करने और विक्रय में जुडे कतिपय समाज विरोधी घटक अगुआई कर रहे हैं । इन घटकों ने, प्रथम स्टॉल निलामी की प्रथा अंगीकृत की है और उसके पश्चात् बालू अनधिकृत निकालने की तस्करी में शामिल है । आजकल, बालू के अवैध निकालने और परिवहन को रोकने के लिये, इस कु-प्रथा को नियंत्रित रखने के लिये, विभिन्न स्थानों पर सतर्कता दस्तों को अभिनियोजित किया है । बालू तस्करों ने, सरकारी अधिकारियों पर आक्रमण करने या शारीरिक हमला करने की कई घटनाएँ हुई हैं, जो बालू अवैध निकालने के साथ-साथ परिवहन को रोकने का प्रयास करते है ।

राज्य के कल्याण में, उचित कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के ज़रिए, समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाये रखना आवश्यक है । तथापि, इस संबंध में, सरकार के प्रयासों को विफल करने का प्रयत्न, आवश्यक वस्तुओं का काला-बाजार करने में जुड़े कुछ व्यक्ति पाये गए हैं । सरकार इस संकट को नियंत्रित रखने के लिये उत्सुक है ।

इन परिस्थितियों में, सरकार, उक्त अधिनियम के कार्यक्षेत्र के भीतर बालू तस्करों और आवश्यक वस्तुओं के काला-बाजार में जुडे व्यक्तिओ को ले आने द्वारा, आवश्यक सांविधिक शक्तियों से अपने-आप को शस्त्रसज्जित करना इष्टकर समझती है, जिससे लोक व्यवस्था बनाये रखने और उसके द्वारा राजस्व हानि को रोकने के लिये, ऐसे व्यक्तियों के अवरोधन के निवारण के लिए, उनके उपबंधों का सहारा लेना होगा । उस प्रयोजन के लिये, महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण अधिनियम, १९८१ में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित है ।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २३ जुलाई २०१५ ।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २९ जुलाई २०१५ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.